# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 102/2019

1. हरजीत सैनी पुत्र श्री रणवीर सैनी जाति सैनी निवासी वार्ड न0 2, भरतनगर, श्री गंगानगर ।
2. विजय सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 5 वाई तह0 व जिला श्री गंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अनुज गर्ग पुत्र श्री आनन्द प्रकाश गर्ग जाति अग्रवाल निवासी 17 ए, गणगौर नगर, गली न० 4, श्री गंगानगर द्य
2. आशा बसंल पत्नी श्री सुभाषचन्द्र बंसल जाति अग्रवाल निवासी 38 बी ब्लॉक, श्री गंगानगर जरिये मुखत्यारखास पंकज बंसल पुत्र सुभाषचन्द्र बंसल जाति अग्रवाल निवासी 38 बी ब्लॉक, श्री गंगानगर ।

वादीगण अप्रार्थीयान

3. सुनीता देवी पत्नी संजीव कुमार जाति मेघवाल निवासी चक 5 वाई तह0 व जिला श्री गंगानगर
4. उमेश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार जाति ब्रह्मण निवासी चक 5 वाई तह० व जिला श्री गंगानगर ।
5. राजेश कुमार पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह जाति नामालूम निवासी चक 5 वाई द्वितीय तह० व जिला श्री गंगानगर ।
6. मीना देवी पत्नी श्री राजेश कुमार जाति नामालूम निवासी चक 5 वाई द्वितीय तह० व जिला श्री गंगानगर
7. मुकेश नेहरा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगांगनगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.ए. सपठित धारा एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी पी सी**

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत अधिवक्ता – – अप्रार्थी 1, 2
3. श्री अनमोल खुराना अधिवक्ता – – अप्रार्थी 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

## —:: निर्णय ::—

दिनांक :— 21.11.2025

अप्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.ए. एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने श्रीमान् न्यायालय में हम प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान 3 ता 7 के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 188,183 आर टी एक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि चक 5 वाई तह0 श्री गंगानगर का खाता सं0 39, मु० न० 53 के किला न0 7,24 सालम, किला न0 6,25 प्रत्येक में 0.228 हे०, किला न० 8 में 0.127 हे0 व किला न0 23 में 0.126 हे0, कुल 1.215 हे0 बारानी कृषि भूमि के खातेदार है एवं मौका पर अप्रार्थीयान 3 ता 7 के कच्चे कोठे बनाकर कब्जा किये हुए देखा एवं बिजली कनैक्शन ले लिये है, अतः इस वाद से पूर्व धारा 177 आर टी एक्ट का दावा सरकार द्वारा फरवरी 2015 में पेश किया, जिसमें हम प्रार्थीयान ने पेश होकर जवाब दावा पेश किया कि उपरोक्त भूमि 1.215 हे० महज नुमाइशी बैयनामा के आधार पर भूमि वादीगण अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज है जबकि उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थीयान 1 व 2 (वादीगण) का कभी कब्जा नहीं रहा, महज रिकॉर्ड में कृषि भूमि उनके नाम दर्ज है, मौका पर सन् 2012 से ही आवासीय कॉलोनी विकसित है, जिस पर भू—खण्ड खरीदकर अप्रार्थीगण व अन्य ने रिहाइश की हुई है। अप्रार्थी सं0 3 से 7 व अन्य लोगों ने अपनी रिहाइश की हुई है एवं विद्युत कनैक्शन एवं पानी के कनैक्शन भी ले रखे है, अतः सभी भू—खण्ड धारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया, इस पर दावा में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर पत्रावली पर आए तथ्यों का सावधानीपूर्वक अवलोकन ना होने के कारण दावा को डिक्री करने का आदेश पारित किया गया, जिस पर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश किया जा रहा है—

1. यह कि अप्रार्थीयान सं० 1 व 2 ( वादीगण ) ना तो कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है, ना ही कोई शाश्वत व्यादेश की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है क्योकि दोनों के कथन विरोधाभासी है।
2. यह कि धारा 177 आर टी एक्ट की कार्यवाही होना प्रमाणित है, मौका पर उपरोक्त भूमि कृषि भूमि ना होकर आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है, मौका पर कृषि कार्य नहीं हो रहा वरन अकृषि कार्य के प्रयोजनार्थ प्रयोग में ली जा रही है, इस प्रकार धारा 177 आर टी एक्ट, प्रकरण सं0 150 ६ 14 न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका ज्ञान अप्रार्थी सं0 1 व 2 को भलीभांति है, इन समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज किया गया है, अतः निर्णय व डिक्री पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है ।
3. यह कि श्रीमान् न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकलें शामिल तथा कानूनन भी दावा की पत्रावली तलब कर इस पुनर्विलोकन प्रार्थना—पत्र के साथ लगायी जानी आवश्यक है तथा हम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रार्थीयान के द्वारा जो जवाब दावा व साक्ष्य पेश की गई है, उनका पुनः अवलोकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि जवाब दावा साक्ष्य के तथ्यों को अनदेखा किया गया है जो कि कानूनी बिन्दु है ।

4. पुनर्विलोकन आदेश व डिक्री अर्थात् श्रीमान् न्यायालय के निर्णय व डिक्री न्याय के विपरीत विधि के विपरीत पारित की गई है क्योकि जवाब दावा में आए तथ्य व साक्ष्य तथा धारा 177 आर टी एक्ट का दावा श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन होने के तथ्य पर विचार नहीं किया जा सका। जब स्टेट की ओर से धारा 177 आर टी एक्ट में यह अंकित किया गया है कि कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो यह स्पष्ट था कि अधीनस्थ न्यायालय में चले प्रकरण में स्टेट भी आवश्यक पक्षकार थी क्योकि हम प्रार्थीयान ने जवाब दावा में जो तथ्य दर्ज किये उनमें धारा 177 आर टी एक्ट के प्रकरण के बारे में भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार इस मामले में स्टेट आवश्यक पक्षकार थी तथा धारा 177 आर टी एक्ट की पत्रावली तलब कर तनकी कायम करना आवश्यक था मगर ऐसी कोई तनकी कायम नहीं की जा सकी जबकि प्लीडिंग के आधार पर इस सम्बंध में तनकी कायम करना आवश्यक था। इस प्रकार पत्रावली में आए तथ्यों का सही तौर से अवलोकन नहीं हो पाया, अतः निर्णय व डिक्री पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है क्योकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जानबूझकर तहसीलदार को दावा में पक्षकार नहीं बनाया, श्रीमान् न्यायालय सोमोटिव अथवा प्रार्थीयान के जवाब दावा में उठाये गये कथनों के आधार पर आदेश 1 नियम 10 (2) सी पी सी के सोमोटिव भी तहसीलदार को पक्षकार बनाकर व धारा 177 आर टी एक्ट के दावा की पत्रावली तलब कर अवलोकन कर सकती थी क्योकि धारा 177 आर टी एक्ट का वाद तहसीलदार द्वारा पेश कर रखा है जो कि वाद सं0 100/14 पर दर्ज है तथा पेशी 03.09.19 नियत है ।

5. यह कि मौका पर भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए नहीं हो रहा है, वरन कॉलोनी कटी हुई है। तहसीलदार को पक्षकार बनाने पर यह सारे तथ्य सामने आ सकते थे, अतः निर्णय व डिक्री पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

6. यह कि तनकियात का निर्णय भी विधिविरूद्ध किया गया है क्योकि दावा ही आवासीय कॉलोनी कट जाने से राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का ही नहीं होने के कारण दावा खारिज करने योग्य था। श्रीमान् न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसमें यह अंकित किया है कि उपरोक्त बारानी भूमि में बनाये गये कच्चे-पक्के कोठो से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें, जिससे भी यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने दबे हुए शब्दों में आवासीय कॉलोनी मौके पर होना स्वीकार किया है, अतः निर्णय व डिक्री पर पुनर्विचार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करना आवश्यक है तथा दावा को खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

1. यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें, जिनके आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र काबिल मंजूरी के है।

8. पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है उचित न्यायशुल्क पर पेश है । लिहाजा पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा सं0 42/15 की पत्रावली तलब कर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र के साथ लगाकर निर्णय व डिक्री पर पुनर्विचार कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा को खारिज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदक/प्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 की विधिवत तामील के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के पर अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

## –:: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत अप्रार्थीगण/वादीगण को ऐतराज नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दावा संख्या 42/2015 अनवान अनुज गर्ग बनाम हरजीत सैनी में पारित निर्णय 07.08.2019 एवं डिक्री दिनांक 09.08.2019 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का एवं दावा संख्या 42/2015 अनवान अनुज गर्ग बनाम हरजीत सैनी में पारित निर्णय 07.08.2019 का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि जिन आधारों पर Review Application लाई गई है उन पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही विचारण किया जा चुका है। अतः पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य या दुरस्ती योग्य नहीं है। आवेदक/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर